फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

ईक्विटास स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड जिसका शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, राजसमन्द रोड, डीसीएम, जयपुर–302001 राज. में स्थित व कार्यरत है, तथा पंजीकृत कार्यालय 4 फ्लोर, फेज–II स्पेन्सर प्लाजा, नं0 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई चैन्नई – 600002, तमिलनाडू, हैं।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री जय किशन लाल पुत्र श्री जोधा राम, निवासी मकान नंबर 126, दरीबा कोलोनी बी टाईप, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद –313211(राज.) **–ऋणी**
2. श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री श्री राम चन्द्र निवासी मकान नंबर 126, दरीबा कोलोनी बी टाईप, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद –313211(राज.) **–सहऋणी**

– विपक्षीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 05/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 20.02.2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी ईक्विटास स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 23.01.2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक को भारत के राजपत्र मे दिनांक 04.02.2017 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार दिनांक 23.12.2016 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दूसरी अनुसूची मे बैंक के रूप मे शामिल किया गया। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने बैंक से दिनांक 30.11.2018 को 3,42,000/– अक्षरे तीन लाख बियालिस हज़ार रूपये का ऋण लिया था। इस हेतु ऋणी/सह ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किया था। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अर्न्तगत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः– बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– गडरी मोहल्ला, ग्राम राजपुरा, ग्रा0पं0 राजपुरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित हैं। जो श्री जय किशन लाल पुत्र श्री जोधा राम के नाम से हैं जिसका कुल क्षैत्रफल 868 वर्गफीट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व – गणेश पिता खेमा कुम्हार का मकान, पश्चिम – रास्ता, उत्तर – भैरूलाल पिता रूपा गाडरी का मकान, दक्षिण – आम रास्ता । ऋण की अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी/सह–ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके उक्त सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से साम्यिक बंधक किया हैं, प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय हैं। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

द्वारा नियमानुसार दिनांक 11.05.2019 को अक्रियान्वित आस्ति (NPA) में वर्गीकृत कर दिया। विपक्षीगण के खाते में बकाया 2,54,407/– अक्षरे दो लाख चौवन हजार चार सौ सात रूपये दिनांक 27.06.2019 तक शेष व देय निकलते है व दिनांक 27.06.2019 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2)के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2019 का टंकित नोटिस जो दिनांक 06.07.2019 को विपक्षीगण को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया है। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मॉग के भी प्रार्थी बैंक को नही किया हैं। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनूसार प्रार्थी को कलम संख्या 3 में वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति कब्जा प्राप्त करनें व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी/सह ऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 01.07.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी ईक्विटास स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– गडरी मोहल्ला, ग्राम राजपुरा, ग्रा0पं0 राजपुरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित हैं। जो श्री जय किशन लाल पुत्र श्री जोधा राम के नाम से हैं जिसका कुल क्षैत्रफल 868 वर्गफीट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व – गणेश पिता खेमा कुम्हार का मकान, पश्चिम – रास्ता, उत्तर – भैरूलाल पिता रूपा गाडरी का मकान, दक्षिण – आम रास्ता है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी ईक्विटास स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी ईक्विटास स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)